करेंट अफेयर्स 5 अगस्त 2022

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

सिलेबस: जीएस पेपर-III (संरक्षण)

पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को पार करने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 पेश करने की योजना बनाई है।

विधेयक में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसे अंतिम बार 2010 में संशोधित किया गया था।

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के बारे में

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

- **ऊर्जा दक्षता के लिए मानदंड**: अधिनियम केंद्र को 100 किलोवाट (किलोवाट) से अधिक जुड़े भार वाले उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों और इमारतों के लिए ऊर्जा दक्षता के मानदंडों और मानकों को निर्दिष्ट करने या 15 किलोवाट-एम्पीयर (केवीए) से अधिक की संविदात्मक मांग के साथ सशक्त बनाता है।
- **बीईई:** अधिनियम ने **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना की।** 2010 के संशोधन ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक के कार्यकाल को तीन से पांच साल तक बढ़ा दिया। यह ब्यूरो ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्दिष्ट कर सकता है जो विभिन्न उद्योगों की बिजली की खपत की निगरानी और समीक्षा करते हैं।
- **ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र:** केंद्र उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकता है जो अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा से कम खपत करते हैं। हालांकि, यह प्रमाण पत्र उन ग्राहकों को बेचा जा सकता है जो अपनी अधिकतम अनुमत ऊर्जा सीमा से अधिक खपत करते हैं - ऊर्जा व्यापार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।
- यह अधिनियम केंद्र को किसी भी उपकरण के विनिर्माण, बिक्री, खरीद या आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है जब तक कि यह छह महीने / एक साल पहले जारी किए गए निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप न हो।
- **जुर्माना:** इस अधिनियम के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में, प्रत्येक अपराध को अपराध जारी रखने के प्रत्येक दिन के लिए 10,000 रुपये के अतिरिक्त दंड के साथ दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- **अपील:** केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसे किसी भी आदेश के खिलाफ किसी भी अपील को बिजली अधिनियम, 2003 के तहत पहले से ही स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सुना जाएगा।

अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

ज् औद्योगिक इकाइयों या किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा उपभोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा के न्यूनतम हिस्से को परिभाषित करना। यह खपत सीधे एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से या अप्रत्यक्ष रूप से पावर ग्रिड के माध्यम से की जा सकती है।

ज् कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी करके स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

ज् इस अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से स्थापित संस्थाओं को सुदृढ़ करना, जैसे कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो।

ज् उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करना।

ज् निजी क्षेत्र को जलवायु कार्रवाई के लिए लुभाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के लिए कार्बन क्रेडिट जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विचार करना।

ज् टिकाऊ पर्यावासों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण मानकों के अंतर्गत बड़े आवासीय भवनों को शामिल करना। वर्तमान में, केवल बड़े उद्योग और उनके भवन अधिनियम के दायरे में आते हैं।

प्रस्तावित संशोधन के उद्देश्य

- **जीवाश्म ईंधन के माध्यम से भारत की बिजली की खपत को कम करना और इस तरह देश के कार्बन पदचिह्न को कम करना।**
- **भारत के कार्बन बाजार को** विकसित करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना।
- अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने के लिए जैसा कि पेरिस जलवायु समझौते में 2030 की लक्ष्य तिथि से पहले उल्लेख किया गया है।

भारत में नशे का खतरा

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर-II (स्वास्थ्य, मानव संसाधन)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक युद्ध को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने चंडीगढ़ में '**मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा**' पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

दवा का खतरा: सांख्यिकी

- भारत मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्चक्र में फंस गया है, और नशीली दवाओं के आदी लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है।
- भारत **दुनिया के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच सैंडविच किया गया है जो एक तरफ गोल्डन त्रिकोण है और दूसरी तरफ गोल्डन क्रिसेंट है।**
- सुनहरे त्रिकोण क्षेत्र में **थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस शामिल हैं।**
- सुनहरे अर्धचंद्राकार क्षेत्र में **पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान** शामिल हैं।
- **वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021** के अनुसार, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और उनकी सामग्री या 'अग्रदूतों' को भारत में मनोरंजक उपयोग के लिए तेजी से डायवर्ट किया जा रहा है - दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता।
- भारत 2011-2020 में विश्लेषण किए गए 19 प्रमुख डार्कनेट बाजारों पर बेची जाने वाली दवाओं के शिपमेंट से भी जुड़ा हुआ है।
- **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पदार्थ के उपयोग की भयावहता:**
  1. लगभग 5 करोड़ भारतीयों ने सर्वेक्षण के समय (वर्ष 2018 में आयोजित) कैनबिस और ओपिओइड का उपयोग करने की सूचना दी थी।
  2. यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 8.5 लाख लोग हैं जो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं।
  3. रिपोर्ट द्वारा अनुमानित कुल मामलों में से, उनमें से आधे से अधिक पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा योगदान दिए गए हैं।

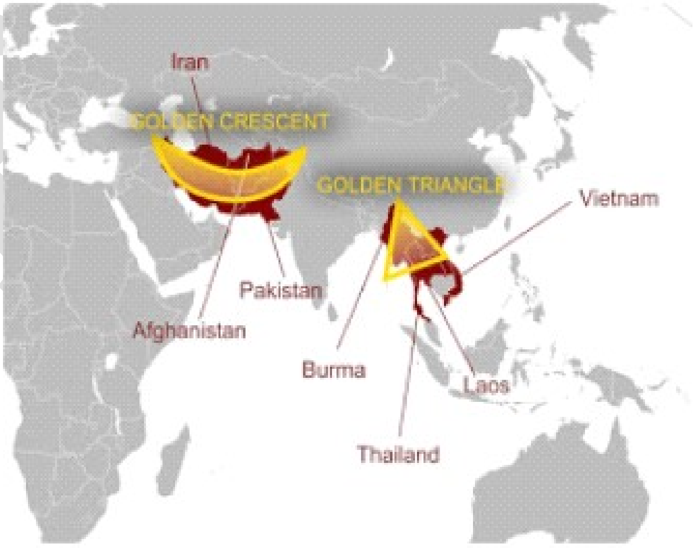

- **भारत में पदार्थ के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार,** 2019 में, देश की आबादी का लगभग 2.1% (2.26 करोड़ व्यक्ति) ओपिओइड का उपयोग करते हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, 10-75 वर्ष की आयु के 2.8% भारतीय (3.1 करोड़ व्यक्ति) **भांग, गांजा और चरस के रूप में कैनबिस** का उपयोग कर रहे थे।

भारत में व्यापक रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण

- **जीवन की कठिन वास्तविकताओं से बचने के लिए:** संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन, धार्मिक और नैतिक मूल्यों आदि के पतन ने नशीली दवाओं के आदी लोगों की संख्या में वृद्धि की है।
- **सामाजिक नियंत्रण के पारंपरिक तरीकों को ढीला करना** इस प्रकार एक व्यक्ति को आधुनिक जीवन के तनाव और उपभेदों के लिए कमजोर बनाता है।
- **सहकर्मी दबाव:** कई युवा अपने दोस्तों, शैक्षिक संस्थानों में वरिष्ठ नागरिकों, या अपने अनौपचारिक समूहों के सदस्यों के दबाव में दवा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं।
- **आसान उपलब्धता:** भारत अपने पश्चिम में **गोल्डन क्रिसेंट** और इसके पूर्व में **गोल्डन ट्रायंगल** के बीच स्थित है।
- **आर्थिक समृद्धि:** कृषि सुधारों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के कारण पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में आय में वृद्धि हुई है, जिससे इसके उपयोग में वृद्धि हुई है।

उठाए गए कदम

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय:

ज् **स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)** ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय किया।

इनमें **सार्क, ब्रिक्स, कोलंबो योजना, आसियान, बिम्सटेक, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड शामिल थे।**

विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय:

- इसके लिए, प्रभावी दवा कानून प्रवर्तन के लिए **2016 में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा नार्को समन्वय केंद्र (NCORD) तंत्र की स्थापना की गई थी**।
- बेहतर समन्वय के लिए जुलाई 2019 में इस NCORD प्रणाली को जिला स्तर तक एक चार-स्तरीय योजना में पुनर्गठित किया गया था।
- एनसीबी महानिदेशक के साथ इसके अध्यक्ष के रूप में एक संयुक्त समन्वय समिति जुलाई 2019 में गठित की गई थी, जो बड़ी जब्ती से जुड़े मामलों की जांच की निगरानी करेगी।

SIMS (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल:

- अखिल भारतीय ड्रग जब्ती डेटा के डिजिटलीकरण के लिए, एमएचए ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) के जनादेश के तहत सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए **2019 में 'सिम्स' नामक एक ई-पोर्टल लॉन्च किया**।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष:

ज् इसका गठन स्वापक औषधियों में अवैध यातायात का मुकाबला करने, नशेड़ियों के पुनर्वास और नशीली दवाओं के दुरुपयोग आदि के विरुद्ध जनता को शिक्षित करने के संबंध में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था।

राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग सर्वेक्षण:

ज् सरकार **एम्स के राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केन्द्र की सहायता से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के** माध्यम से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की प्रवृत्तियों को मापने के लिए सर्वेक्षण भी कर रही है।

परियोजना सूर्योदय:

- यह भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते एचआईवी प्रसार से निपटने **के लिए 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** द्वारा शुरू किया गया था, विशेष रूप से दवाओं को इंजेक्ट करने वाले लोगों के बीच।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) 1985:

- यह किसी व्यक्ति को किसी भी मादक पदार्थ या साइकोट्रोपिक पदार्थ का उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडारण करने और / या उपभोग करने से रोकता है।

ज् एनडीपीएस अधिनियम को तब से तीन बार संशोधित किया गया है - 1988, 2001 और 2014 में।

- यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है और यह भारत के बाहर के सभी भारतीय नागरिकों और भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर सभी व्यक्तियों पर भी लागू होता है।

'नशा मुक्त भारत', या ड्रग-फ्री इंडिया अभियान:

- यह सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित है।

नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां और सम्मेलन: भारत ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए हैं:

संयुक्त **राष्ट्र (यूएन) नारकोटिक ड्रग्स पर कन्वेंशन (1961)**

- ^ **साइकोट्रोपिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1971)।**

- **नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)**
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNTOC) 2000**

आतंकवाद से निपटने पर UNSC की बैठक की मेजबानी करेगा भारत

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर -II (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान)

पहली बार, भारत **अक्टूबर में दिल्ली और मुंबई** में आतंकवाद पर एक विशेष बैठक **के लिए चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 देशों के राजनयिकों और अधिकारियों की मेजबानी** करेगा।

अधिकारियों ने कहा **कि आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) की बैठक, जिसकी भारत यूएनएससी के सदस्य के रूप में 2022 के लिए अध्यक्षता कर रहा है**, विशेष रूप से आतंकवाद के वित्तपोषण, साइबर खतरों और ड्रोन के उपयोग जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

मुख्य हाइलाइट्स

- **पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा पार से खतरे:** भारत को बैठक में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा पार के खतरों को उजागर करने की उम्मीद है, जो भारत द्वारा यूएनएससी (2021-22) के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने से दो महीने पहले आएगा।

अंतर्राष्ट्रीय **आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय इसके** अतिरिक्त, भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक कन्वेंशन (पहली बार 1996 में प्रस्तावित)** को अपनाने के लिए जोर दे रहा है, जिसे बैठक के दौरान उठाए जाने की संभावना है।

- **आतंकवाद का शिकार:** यह आयोजन आतंकवाद के पीड़ित के साथ-साथ वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सबसे आगे एक देश के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करेगा।

UNSC **के अध्यक्ष के रूप में भारत:** उन्होंने कहा कि भारत में सीटीसी की बैठक **दिसंबर में प्रधान मंत्री द्वारा न्यूयॉर्क** की यात्रा का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है, जहां भारत **पूरे महीने के लिए UNSC का अध्यक्ष होगा।**

- **महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें:** विशेष बैठक विशेष रूप से तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी:

1. जहां उभरती प्रौद्योगिकियों तेजी से विकास का अनुभव कर रहे हैं

2. सदस्य देशों द्वारा बढ़ते उपयोग (सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों के लिए सहित)

3. आतंकवाद के उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग का खतरा बढ़ता है, अर्थात्:

a. इंटरनेट और सोशल मीडिया

b. आतंकवाद वित्तपोषण, और

c. मानव रहित हवाई प्रणालियाँ.

प्रीलिम्स तथ्य

जैव-खनन

- एक रिपोर्ट के अनुसार, **गाजीपुर डंपसाइट (दिल्ली) में, जैव-खनन किया जाने** वाला विरासत अपशिष्ट कुल का केवल 6.86% है।
- बायोमाइनिंग रॉक अयस्कों या खान अपशिष्ट से आर्थिक हित की धातुओं को निकालने के लिए सूक्ष्मजीवों (रोगाणुओं) का उपयोग करने की प्रक्रिया है।
- बायोमाइनिंग तकनीकों का उपयोग उन साइटों को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है जो धातुओं के साथ प्रदूषित हो गए हैं।
- बायोलीचिंग के माध्यम से निकाली गई धातुओं में शामिल हैं: **सोना, तांबा, चांदी, कोबाल्ट, यूरेनियम, जस्ता, निकल आदि।**

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन

- भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 6865 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय **के साथ "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन"** के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है, **जो पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाएगी, उत्पादन की लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में वृद्धि** करेगी, इस प्रकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- एफपीओ स्वैच्छिक **संगठन** हैं जो अपने किसान-सदस्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो सक्रिय रूप से अपनी नीतियों को स्थापित करने और निर्णय लेने में भाग लेते हैं।
- वे **उन सभी लोगों के लिए खुले हैं जो अपनी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं और लिंग, सामाजिक,**

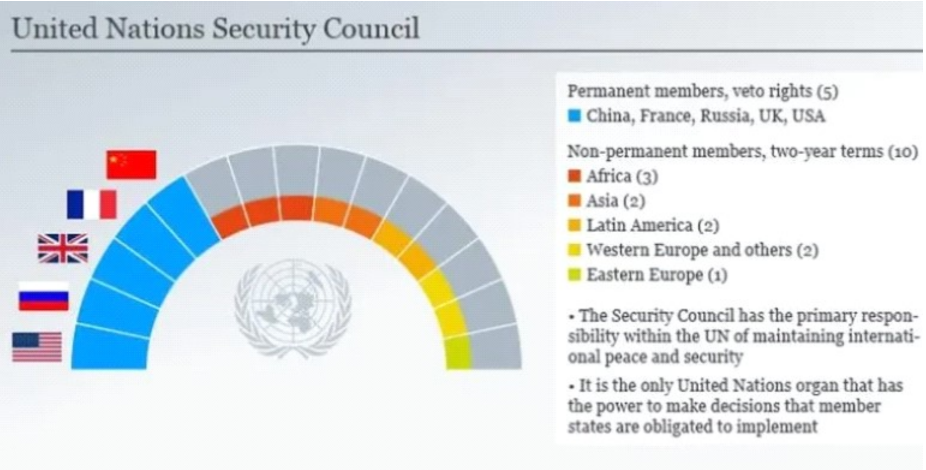

नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना सदस्यता की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

- एफपीओ ऑपरेटिव अपने किसान-सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे अपने एफपीओ के विकास में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकें।

ज् **गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान**और कुछ अन्य राज्यों में एफपीओ ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं और वे अपने उत्पादों के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं।

भारत ने रामसर साइटों के रूप में नामित 10 और आर्द्रभूमियों को जोड़ा

- भारत 1971 में रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन के लिए अनुबंधित पक्षों में से एक है।

अब तक, 64 आर्द्रभूमियों को भारत से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है।

List of 10 new wetlands of India added to the Ramsar Sites list	
Koonthankulam Bird Sanctuary	Tamil Nadu
Gulf of Mannar Biosphere Reserve	
Vembannur Wetland Complex	
Vellode Bird Sanctuary	
Vedanthangal Bird Sanctuary	
Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary	
Nanda Lake	Goa
Ranganathittu Bird Sanctuary	Karnataka
Sirpur Wetland	Madhya Pradesh
Satkosia Gorge	Odisha

RACE